माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की अध्यक्षता में दिनांक–05.06.2015 को संपन्न झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की द्वितीय बैठक की कार्यवाही :–

दिनांक–05.06.2015 को अपराह्न 12:30 बजे झारखण्ड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) स्थित मुख्यमंत्री सभाकक्ष में झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की द्वितीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें निम्नांकित सदस्यों एवं विशिष्ट आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया :–

1. मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।
2. मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग,
   सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।
3. मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग,
   सदस्य, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।
4. मुख्य सचिव–सह–मुख्यकार्यपालक पदाधिकारी,
   राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार।
5. मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव,
   विशेष आमंत्रित सदस्य।
6. मुख्यमंत्री के सचिव एवं सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग,
   विशेष आमंत्रित सदस्य।
7. प्रधान सचिव,
   आपदा प्रबंधन विभाग,
   विशेष आमंत्रित सदस्य।

बैठक के प्रारंभ में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का स्वागत करते हुए Power Point Presentation के माध्यम से बैठक की कार्यावली पर प्रकाश डाला गया । तत्पश्चात् बिंदुवार चर्चा के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कार्यवाही संख्या–1

माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुपस्थित सदस्यों के विशेष अवकाश का अनुमोदन किया गया।

कार्यवाही संख्या–02

राज्य आपदा प्रबंधन योजना, संबंधित विभागों (Line Departments) एवं जिलास्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

नवम्बर 2014 में तैयार की गई झारखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन योजना के प्रारूप को एक महीने में अद्यतनीकरण का निदेश दिया गया।

इसके पश्चात् राज्य आपदा प्रबंधन योजना को राज्य कार्यकारिणी समिति (State Executive Committee) में विमर्श के उपरान्त अद्यतनीकरण कर एक माह के अन्दर कार्य पूरा किया जायेगा।

कार्यवाही संख्या–03

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के प्रशासनिक कार्यालय के गठन एवं पदों का सृजन के प्रस्ताव पर विचार।

संप्रति झारखण्ड राज्य के लिए **राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार** प्रशासनिक कार्यालय की अलग से स्थापना की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी ।

कार्यवाही संख्या–04

झारखण्ड राज्य के लिए राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के गठन के प्रस्ताव की अद्यतन स्थिति की समीक्षा।

दिनांक–09 मार्च, 2015 को प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में किये गये अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड राज्य आपदा मोचन बल के गठन के अंतर्गत एक कंपनी की स्थापना के संबंध में नियमानुसार यथोचित कार्रवाई एक माह के अंदर करते हुए बल के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

कार्यवाही संख्या–05

झारखण्ड में राज्य स्तर पर एक राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (State Emergency Operation Center) **एवं 24 जिलों में जिला स्तर पर जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र** (District Emergency Operation Center) **की स्थापना का प्रस्ताव।**

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र एवं सभी 24 जिलों में जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र के अधिष्ठापन के संदर्भ में निदेश दिया गया कि राज्य में एक राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र की स्थापना की कार्रवाई प्रारंभ की जाय एवं सभी जिलों में क्रियाशील जिला नियंत्रण कक्ष (पुलिस कंट्रोल रूम) का आधुनिकीकरण करते हुए उसे EOCs के रूप में Upgrade करते हुए जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक क्रियाशील किया जाय।

कार्यवाही संख्या–06

राज्य आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की धनबाद में स्थापना का प्रस्ताव।

6.1 झारखण्ड में खनन जनित आपदा का प्रकोप होता है जिसके प्रशिक्षण के लिए सीमित क्षमता उपलब्ध है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा प्रशिक्षण संस्थान की धनबाद जिले में स्थापना करने का निर्णय लिया गया।

6.2 आपदा प्रबंधन संस्थान के धनबाद जिले में स्थापना का मुख्य उद्देश्य खनन जनित आपदाओं के रोकथाम, बचाव एवं प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य करना है। साथ ही यह संस्थान सभी Stake Holders को अन्य सभी प्रकार की आपदाओं का भी प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शोध तथा प्रचार–प्रसार हेतु क्रियाशील करने का निर्णय लिया गया।

6.3 धनबाद जिला के निरसा अंचल में 66 एकड़ गैर मजरूआ भूमि पर राज्य आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

6.4 आपदा प्रबंधन विभाग तदनुसार आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन कर यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

कार्यवाही संख्या–7

राज्य आपदा मोचन निधि (13वीं वित्त–आयोग) से दिए गए अनुदानों का वर्षवार विवरणी।

राज्य आपदा मोचन निधि (13वीं वित्त–आयोग) से दिए गए अनुदानों की वर्षवार विवरणी, वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक विभाग द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि से आवंटित राशि की विवरणी, 14वें वित्त आयोग द्वारा SDRF हेतु कर्णांकित राशि, 13वें वित्त आयोग तक Unspent Balance तथा सावधि जमा में संचित राशि संबंधी विवरणी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में उपस्थापित किया गया।

कार्यवाही संख्या– 8

केन्द्र सरकार के आपदा सूची (SDRF) में वज्रपात को भी शामिल करने हेतु विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर विवेचना ।

वज्रपात को राज्य विशिष्ट आपदा में शामिल करके अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।

वज्रपात पीड़ितों को गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक–01.04.2015 से प्रभावी नये मापदण्डों के अनुसार राज्य आपदा मोचन निधि के 10% जमा राशि का उपयोग राज्य विशिष्ट आपदा के लिए किया जा सकता है।

कार्यवाही संख्या–9

आपदा प्रबंधन के संचार हेतु सभी 24 जिलों को Satellite Phone उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करने के संबंध में ।

झारखण्ड में वर्तमान आपदाओं को ध्यान में रखते हुए Satellite Phone की आवश्यकता नहीं महसूस किये जाने के कारण उक्त प्रस्ताव पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया ।

कार्यवाही संख्या–10

सभी जिलों में त्वरित आपदा प्रबंधन हेतु कम से कम 100 स्वयंसेवक (Volunteers) का नागरिक सुरक्षा दल तैयार करने के संबंध में ।

उक्त प्रस्ताव पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि नागरिक सुरक्षा निदेशालय से समन्वय स्थापित कर राज्य के सभी 24 जिलों में 100 स्वयंसेवकों का नागरिक सुरक्षा दल गठित किया जाय। इस पर विधिवत स्वीकृति लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

यह भी निर्णय लिया गया कि झारखण्ड राज्य में पूर्व से गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घोषित 05 जिलों यथा–पूर्वी सिंहभूम, बोकारो राँची, साहेबगंज एवं गोड्डा के अलावे अन्य 19 जिलों को भी नागरिक सुरक्षा जिला घोषित किया जाय।

नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों को कर्तव्य भत्ता एवं प्रशिक्षण भत्ता प्रतिदिन 250/–रूपये मात्र देने का निर्णय लिया गया।

इस पर विधिवत स्वीकृति लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाय।

कार्यवाही संख्या–11

सभी जिलों में कम से कम 4 प्रशिक्षित गोताखोरों का आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दल तैयार करने के संबंध में।

प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान में राँची, साहेबगंज, रामगढ़, जमशेदपुर में कम से कम 04 प्रशिक्षित गोताखोरों को तैयार कर आधुनिक गोताखोरी के उपकरणों से सुसज्जित किया जाए ।

कार्यवाही संख्या–12

झारखण्ड में आपदा प्रबंधन सह नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के संबंध में।

राँची में गृह रक्षावाहिनी के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 02 (दो) भवनों का निर्माण केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र के लिए किया जा चुका है। प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों तथा राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मातहत सभी प्रकार के बलों/स्वयंसेवकों एवं सरकारी/गैर सरकारी कर्मियों को आपदा से तत्काल राहत एवं बचाव कार्य के लिए प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया।

कार्यवाही संख्या–13

राज्य में घटने वाली ऐसी, प्राकृतिक आपदाएँ, जिसमें राज्य सरकार क्षतिपूर्ति देना उचित समझती है, का SDRF (State Disaster Relief Fund) में समावेश।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि लू, सड़क दुर्घटना इत्यादि को राज्य विशिष्ट आपदा की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाय।

कार्यवाही संख्या–14

प्राधिकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि झारखण्ड राज्य में अवस्थित सरकारी विद्यालयों में तड़ित चालक/रोधक अधिष्ठापित करने के लिए मानव संसाधन विभाग से वज्रपात से प्रभावित अतिसंवेदनशील सरकारी विद्यालयों की सूची आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राप्त की जाय, जहाँ पूर्व में तड़ित चालक स्थापित नहीं किए गए हैं, ताकि वहाँ चालक/रोधक का अधिष्ठापन किया जा सके।

अन्त में सधन्यवाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के द्वितीय बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई ।

28.7.15

(एन०एन० पाण्डेय)
अपर मुख्य सचिव
गृह, कारा व आपदा प्रबंधन विभाग।